

बेबसाईट में अपलोड हेतु
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई प्रमंडल सहरसा।

email id :- eecanalsaharsa@gmail.com

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 07 / 2023–24

1. कार्य का विवरण :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० लाख में)	अग्रधन की राशि Online अथवा Physical/Manual Mode में भुगतेय (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) केवल online मोड में भुगतेय (रु० में)	वेल्ड्रॉन को देय बीड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) केवल online मोड में भुगतेय (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कहरा उपवितरणी के वि०दू० 1.95, 3.205, 14.225, एवं 24.60 पर स्थित LD Syphon का पुर्नस्थापन कार्य।	21.88473	0.43800	5000.00	590.00	15.06.2024

- विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल सहरसा।
संयुक्त कार्यालय भवन, कोशी कॉलोनी, सहरसा
☎-7463889511 ✉:- eecanalsaharsa@gmail.com
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- 03.02.2024
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि :- 17.02.2024 से 23.02.2024 (अपराहन् 3.00 बजे तक)
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- 27.02.2024 (3.30 बजे अपराहन् में)
(सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय एवं स्थान :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाईट पर घोषित की जायेगी।
- निविदा खोलने का स्थान :- www.eproc2.bihar.gov.in पर
- निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन।
- ई-निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
- ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User id), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

11. (a) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(b) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) द्वारा समर्पित EMD ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारंटी ही स्वीकार किये जायेंगे। (जल संसाधन विभाग बिहार के पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 अनु0)

Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

अगर निविदाकार द्वारा बैंक गारंटी जमा किया जाना आवश्यक हो तो बिना शर्त वाली बैंक गारंटी (as per the format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि (120 दिन+45 दिन=165 दिन) तक के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो इसकी Scanned प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(c) "Bids along with necessary online payment must be sub mitted through e-procurement portal www.eproc2c.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/Non reconciliation of online payment caused due to Non-availability of Internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

(d) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode."

(e) Eproc-2 पोर्टल पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 752 दिनांक 21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प-सह-ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।

11. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 163(E) दिनांक 10.01.2024 के आलोक में निविदा से संबंधित कागजात केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे एवं निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं है। निविदा में सफल निविदाकार को आवश्यक कागजात जैसे-शपथ पत्र (मूल में), बैंक गारंटी (मूल में) एकरानामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

12. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि (Physical mode/Manual Payment System के लिए)/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्यस्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

14. कार्य आवंटन के उपरांत 15 दिनों के अन्दर सफल निविदादाता एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के अन्दर एकरारनामा नहीं करते हैं तो अग्रधन की राशि जब्त करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। एवं आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार FIR दर्ज किया जा सकता है एवं कालीकृत सूची में भी डाला जा सकता है।

15. किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक सं०/पृष्ठ सं० के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, MS OFFICE (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में हीं upload किये जाएँ, अन्य Format में Upload Documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
18. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व हीं कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
19. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौती विपत्र से की जाएगी।
20. रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seignoreige Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज के आधार पर आपूर्तिकर्ता/कार्य ठेकेदारों के विपत्र से समय-समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार एवं जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन परिपत्रों के आलोक में काटी जाएगी।
21. पथ निर्माण विभाग सरकार के अधिसूचना सं०-449(S) दिनांक-16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (in percentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदा दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुये परिणाम विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए (Additional performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है।
22. निविदा दर में Serious unbalanced rate होने की स्थिति में (Additional performance Guarantee) पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-447(S), दिनांक-16.01.2020, पत्रांक 448(S) दिनांक 16.01.2020, पत्रांक 449(S), दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
23. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी/बढोत्तरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
24. "चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता" से संबंध में विभागीय पत्रांक 124, दिनांक 04.02.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाताओं को निविदा कागजात के साथ जिला पुलिस द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
26. तकनीकी निविदा पूरी करने की न्यूनतम अहर्ता-
 - (क) निविदादाता को समुचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए। अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (ख) निविदा के समय अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि अनुमान्य/निर्धारित स्वरूप में जमा होना चाहिए।
 - (ग) आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र।
 - (घ) निर्धारित आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

जल संसाधन विभाग का पत्रांक 686 दिनांक 19.08.2014 (इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 6158 (एस) दिनांक 09.07.2014 अनुलग्नक सहित) लागू होगा एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:-

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishments as well as black listing."

27. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाताओं का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
28. संलग्न/Upload सभी दस्तावेज यथा PAN Card, GST No., Registration Certificate आदि निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।
29. कार्य आवंटन के उपरांत 15 दिनों के अन्दर सफल निविदादाता एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के अन्दर एकरारनामा नहीं करते हैं तो अग्रधन की राशि जब्त करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। एवं आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार FIR दर्ज किया जा सकता है एवं कालीकृत सूची में भी डाला जा सकता है।
30. समुचित श्रेणी में पंजीकृत निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। वैसे संवेदक जो किसी विभाग द्वारा डिबार अथवा कालीकृत किये गये हैं या जिनके द्वारा कार्य आवंटन के पश्चात् भी तय सीमा तक एकरारनामा नहीं किया गया हो या किसी कार्य को अधूरा छोड़ा गया हो, इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
31. CWJC NO-9941/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का पारित न्यायादेश दिनांक-06.07.2023 एवं विभागीय आदेश संख्या 1/पी0एम0सी0/न्यायालय/01/2022-536 दिनांक-18.07.2023 एवं पथ निर्माण के पत्रांक-4439, दिनांक-17.07.2023 के आदेश अनुपालन में 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएँ भी मान्य होंगी।
32. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
33. जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 01/PMC/विविध/161/2023-205 दिनांक 20.03.2023 के निदेशानुसार जिन्हें कार्य आवंटित होगा, उन्हें CBUd App (Call Before U dig App) के माध्यम से कार्य संबंधित सूचना देना होगा।
34. जिन संवेदक को कार्य आवंटित होगा उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित Work Schedule (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा। कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
35. संवेदक को अपना दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०/ई-मेल पता अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।
36. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612-2235241) एवं टोल फ्री नं०-18005726571 अथवा ई-मेल eproc2support@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।


03.02.24

(ई0 पवन कुमार दास)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, सहरसा
2-2-24